संख्या-175/2018/2711/26-3-2018

प्रेषक,

सतीश कुमार
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 14 अगस्त 2018

विषय:- **अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत सी0पी0एल0 प्रशिक्षण कोर्स हेतु श्री राहुल राय पुत्र श्री ओम प्रकाश राय निवासी-जौनपुर को कामर्शियल पायलेट लाइसेन्स कोर्स हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-433/स0क0/शिक्षा-अ/04/ 129/2018-19, दिनांक-01.05.2018 एवं निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-11017/01/2017-एस.सी.डी.-अ, दिनांक- 10.08.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका संख्या-1917/एम0एस0/2017 श्री राहुल राय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ के आदेश दिनांक-14.12.2017 के अनुपालन में श्री राहुल राय को उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति की धनराशि रू0-32,42,100/- के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 33 प्रतिशत की धनराशि **रू0-10,69,893 /-(रूपये दस लाख उनहत्तर हजार आठ सौ तिरान्वे मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 की योजनान्तर्गत प्राविधनित धनराशि, जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत करके आपके निवर्तन पर रखी गयी है, से भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

3- निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक-10.08.2018 में दिये गये निर्देशों के क्रम में सम्बन्धित छात्र की द्वितीय किश्त के रूप में 33 प्रतिशत की शुल्कप्रतिपूर्ति का भुगतान तभी किया जायेगा जब सम्बन्धित छात्र द्वारा 50 घंटे का फ्लाइंग प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया जायेगा।

4- उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च 2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

सतीश कुमार
अनु सचिव

पृ.संख्या-175/2018/2711(1)26-3-2018 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी, जौनपुर।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
7. सम्बन्धित छात्र।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

सतीश कुमार
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।